न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वादपत्र संख्या :– 129/2022

प्रार्थीगण

1.पारू देवी पत्नी धर्माराम जाति जाट उम्र 55 वर्ष
2.हरीराम पुत्र धर्माराम जाति जाट उम्र 38 वर्ष
3.जेठाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट उम्र 34 वर्ष
4.चनणाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट उम्र30वर्ष
5.गंवरी पत्नी कुंभाराम जाति जाट उम्र 38वर्ष
6.प्रकाश पुत्र कुम्भाराम जाति जाट उम्र 8वर्ष
7.प्रमिला पुत्री कुम्भाराम जाति जाट उम्र 5 वर्ष
प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 नांबालिग कुदरती वली माता गवरी वादीनी संख्या 5 निवासी खुमे की बेरी (दुधू)तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1.जीयो पत्नी चुनाराम जाति जाट उम्र 35 वर्ष
2.मिरगो पत्नी पप्पूराम जाति जाट उम्र 35 वर्ष
3.दलाराम पुत्र पीराराम फौत के कायम मुकाम
3/1 प्रहलादराम पुत्र दलाराम जाति जाट उम्र 52 वर्ष
3/2रामाराम पुत्र दलाराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष
3/3 मूली पत्नी दलाराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी खूमे की बेरी (दुधू)तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर(राज.)
4.तहसीलदार एवं उपपंजीयक धोरीमन्ना

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा।

तारीख रजू:– 02/08/2022

अधिवक्तागण:–

01. श्री बलवंतसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण
02. श्री ओमप्रकाश विश्नोई एवंम श्री हापूराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 2
03. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 3/1 ता 3/3

–::निर्णय::–

दिनांक:– 02/01/2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बलवंतसिंह चौधरी द्वारा प्रार्थन[illegible] धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण [illegible] के विरुद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,89,53,188 व [illegible] अधिनियम 1955 के तहत श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण एवंम विप्रार्थीगण संख्या [illegible] को एक हिन्दू परिवार के सदस्य होने से विधि एवं न्यायिक प्रकिया के अन्तर्गत हिन्दू विधि से प्रसाशित होते है जो गेना के विधिक वारिसान होने से गेना का वंश वृक्ष निम्नानुसार है–

02/01/24
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

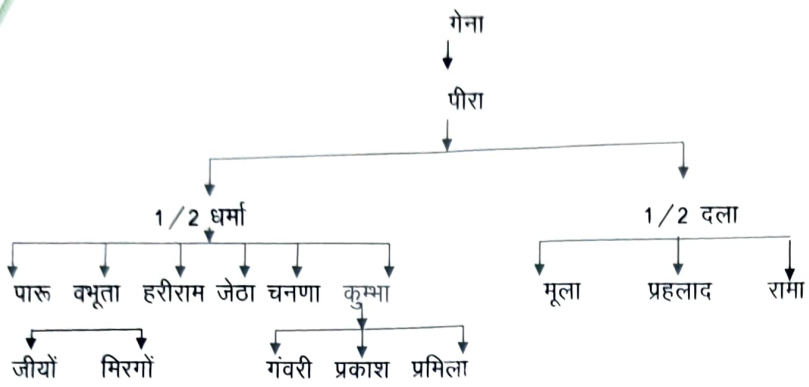

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 3 व विप्रार्थीसंख्या 1 ला 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा खूमे की बेरी के खसरा संख्या 1022, 1034 ,1090 ,861 रकबा क्रमशः2.0477 हैक्टयर 2.7923 हैक्टयर ,0.8013 हैक्टयर ,1.3274 हैक्टयर कुल रकबा 6.9687 हैक्टयर मौजा जसनाथपुरा के खेत खसरा संख्या 966 रकबा 2.4929 हैक्टयर तथा मौजा सुरते की बेरी के खेत खसरा संख्या 1162 रकबा 6.2645 हैक्टयर कुल रकबा 15.7261 हैक्टयर यानि 97.03 बीघा का आया हुआ है जो आगामी पदों में वादग्रसत आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा।

कि वाद पद क्र.2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का संयुक्त 5/12 हिस्सा यानि 6.5558 हैक्टयर अर्थात 40.10 बीघा भूमि आती है तथा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थीगण के पुत्र व भाई वभूताराम द्वारा बिना विधिक बंटवाड़ा किये दिनांक 13.12.21 को जरिए रजिस्ट्री अपना हिस्सा 1/12 बेचान कर देने से 1/12 हिस्सा बनता है तथा विप्रार्थी सं.3 का 1/2 हिस्सा पैतृक एवं संयुक्त है।कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1022 में संयुक्त ढाणी बनी हुई है जिसमें प्रार्थीगण का निवास स्थान है तथा विप्रार्थी सं.1 व 2 को वभूताराम द्वारा दिनांक 13.12.21 को बेचान में अपनी ढाणी साथ बेचान बताया है जो वभूताराम का उक्त ढाणी में नहीं निवास रहा है न ही वभूताराम का हक हिस्सा या हकुक नहीं होने से प्रार्थीगण खसरा संख्या 1022 में प्रार्थीगण की संयुक्त ढाणी को अपने हक–हकुक की ,घोषित करवाने के अधिकारी है जिस हेतु उक्त वाद श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में 5/12 हिस्सा पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त तथा खसरा संख्या 1022 में बनी ढाणी पर प्रार्थीगण का कब्जा एवं हक हकुक होने से परिवार सहित निवास करते आ रहे है वादग्रस्त आराजी में 5/12 हिस्सा तथा खसरा संख्या 1022 में बनी ढाणी को प्रार्थीगण घोषणा करवाने के वैध अधिकारी है।कि वादग्रस्त आराजी के बाद घोषणा 5/12 हिस्सा मय ख.स.1022 में बनी ढाणी को बाई बाई बाई मिटिजन विभाजन करवाने के प्रार्थीगण के प्रार्थीगण वैध अधिकारी है।कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से 5/12 मय खसरा संख्या 1022 में बनी ढाणी के संबंध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण के 5/12 हिस्सा ख.सं.1022 में बनी ढाणी पर न ही विप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे न ही किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी करावे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का प्रार्थीगण वैध अधिकारी है। अस्थाई निषेधाज्ञा के भी बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इनके पक्ष में होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेषाज्ञा जारी की जानी न्यायोचित है।

अतःनिवेदन है कि मौजा खूमे की बेरी (दूधू)तहसील धोरीमन्ना खेत संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा खूमे की बेरी के खसरा संख्या 1022, 1034 ,1090 ,861 रकबा क्रमशः2.0477 हैक्टयर , 2.7923 हैक्टयर ,0.8013 हैक्टयर ,1.3274 हैक्टयर कुल रकबा 6.9687 हैक्टयर मौजा जसनाथपुरा के खेत खसरा संख्या 966 रकबा 2.4929 हैक्टयर तथा मौजा सुरते की बेरी के खेत खसरा संख्या 1162 रकबा 6.2645 हैक्टयर कुल रकबा 15.7261 हैक्टयर यानि 97.03 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Si
Date: 2024.06.12 16:30:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

में प्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी होने से 5/12 का विभाजन नहीं होता है तब तक मौजा खुमे की बेरी के खेत खसरा संख्या 1022 में खेतों का विभाजन नहीं होता है और वादग्रस्त खेतों में विप्रार्थी 1 व 2 कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस आशय की विप्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थी 1व 2 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरीए रजिस्ट्रर्ड डाक से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 तथा 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पैरा संख्या 01 आधारहीन एवं ओचित्यहीन है। क्योंकि वर्तमान राजस्व रेकर्ड हिस्से खुले हुए होने से घोषणा का कोई आचित्य नहीं है कि पैरा संख्या 02 भूमि के संबंध में क्षेत्रफल दर्शाया गया है जो राजस्व रेकर्ड से संबंधित है। कि पैरा संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण सभी के अलग अलग हिस्से खुल हुए है इसलिए एक साथ जोड़ने का कोई आधार नहीं है तथा अपना हिस्सा बेचान हेतु प्रत्येक खातेदार स्वतंत्र है।कि पैरा संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार है खेत खसरा संख्या 1022 में वभूता का कब्जा नहीं हो तथा प्रार्थीगण का कब्जा हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तथा न्यायालय कयास पर नहीं चलता तथा खसरा संख्या 1022 को गलत तरीके से ढाणी बताया जबकि यह 2.0477 हैक्टयर का खेत है तथा वभूता अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को हिस्से के रूप में बेचान करने हेतु किसी भी विधि से बाधित नहीं है तथा प्रार्थीगण अपने 5/12 हिस्से से अधिक घोषणा नहीं करवा सकते इस प्रकार गलत तथ्य पेश कर प्रार्थीगण ने स्थगन लिया तथा खुद ने ही स्थगन की अवहेलना करते हुए उक्त आराजी दोराने स्थगन अपना नामांतरणकरण पारित करवाया इस प्रकार दुरभि संधि व गलत तथ्यों के आधार पर पेश राजस्व आवेदन प्रथम दृष्टया खारीज योग्य है। कि पेरा संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है पैरा संख्या 04 की बाते पुनः दोहराई है जिसा जवाब ऊपर आ चुका है। कि पैरा संख्या 06 आंशिक गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि खसरा संख्या 1022 ढाणी के रूप में दर्ज नहीं है तो दखलअंदाजी का तथ्य भी झूठा है तथा न्यायालय द्वारा मौके पर दखलअंदाजी का अंतरिम रूप से खारिज किया है। कि पैरा संख्या 08 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण एक स्वतंत्र हिस्सा धारी काश्तकार है जिसमें सहखातेदारों के अधिकारों पाबंध करवाने का कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार उक्त आवेदन में प्रार्थीगण स्वयं ने स्थगन में सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया जबकि प्रार्थीगण ने वैधानिक रूप से जो हिस्सा विनिमय किया है उसको षड़यंत्र पूर्वक दूरभि संधि से रूकवाने की कुचेष्टा की है जो न तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है जबकि अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के यह जानते हुए कि स्थगन जारी किया हुआ है बेचान करने से तथा विप्रार्थीगण के हिस्से पर अनाधिकृत रोक से विप्रार्थीगण ने अपने अन्य खसरों से अदला बदली में एक का नामांतरणकरण रूक जाने से भारी क्षति हो रही है जहां तक इस राजस्व आवेदन में देख है कहीं पर भी रेकर्ड की यथास्थिति की मांग नहीं की है एक मात्र इस्तदुआ खसरा संख्या 1022 में बनी ढाणी में दखलअंदारजी नहीं करने की मांग पैरा संख्या 4 ,5,6,7 में अंकन किया गया है तो अंतरिम आदेश में सभी खसरों में रेकर्ड की यथास्थिति आवेदन की इस्तदुआ के विपरित होने से तथा प्रार्थी द्वारा मांग नहीं करने के बावजूद दिया जाना अनुचित है इसलिए अंतरिम रूप से जारी स्थगन दिनांक 02.08.22 को प्रथम दृष्टया आज ही खारीज किया जाकर विप्रार्थीगण के वैध अंतरण को स्थगन से मुक्त किया जावे तथा प्रार्थीगण ने केवल मात्र 1022 में बनी ढाणी में दखलअंदाजी नहीं मांग की है जिसमें रेकर्ड की यथास्थिति की मांग नहीं की है तथा मौक पर उक्त खसरा में ढाणी नहीं होने से उक्त अनुतोष सारहीन व आधारहीन होने से प्रथमदृष्टया अंतिरिम आदेश अपास्त किया जाकर [illegible] की यथाशीघ्र निस्तारित किया जावे तथा स्थगन में प्रार्थीगण स्वयं द्वारा किये गये प[illegible] पर [illegible]न लिया जाकर अपास्त कर अवमानना हेतु दण्डित किया जावे तथा सभी स्थगन के बाद [illegible] परिवर्तन को तलब कर विश्लेषण कर अंतिरिम आदेश आपास्त [illegible]1 ता 3/3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के कथनों को दोहराया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Sin
Date: 2024.06.12 16:30:42 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर विस्तारपर्वूक सुनी, हमने पत्रावली एवं उस पर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा आर.आर.टी. 2022(1) पेज 114 एवं डी.एन.जे.(rev) 2022(1) पेज

847 प्रस्तुत किये जिनका हमने सम्मान पूर्वक अध्ययन कर मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :–

1– **प्रथम दृष्टया मामला** :– इसका अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो।

उपयुक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र तथा राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों के आधार पर यह स्पष्ट है कि राजस्व मौजा खुमे की बेरी ,पटवार मण्डल दूधू के खसरा संख्या क्रमश : 1022 ,1034 ,1090,861 रकबा क्रमश :2.0477 ,2.7923 , 0.8013,1.3274 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बा.दोयम,बा.दोयम,बा.दोयम,बा.दोयम कुल रकबा 6.9687 हैक्टेयर तथा राजस्व मौजा–जसनाथ पुरा, पटवार हल्का –दूधू के खसरा संख्या 966 रकबा 2.4929 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम तथा राजस्व मौजा–सुरते की बेरी के खसरा संख्या 1162 रकबा 6.2645 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम अर्थात कुल 15.7261 हैक्टेयर आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की सहखातेदारी की अविभाजित सामलाती है जिसमें से प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 5/12 हिस्सा (प्रत्येक प्रार्थी का जोड़ने पर), अप्रार्थी संख्या 01 का 1/14 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 02 का 1/24 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 3/1 व 3/3 का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रेकर्ड है। चूंकि मूल वाद में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा 5/12 हिस्से की घोषणा ही चाही है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण का 5/12 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अतः हस्तगत वादपत्र विशुद्व रूप से बंटवाड़ा का है।

अतः प्रार्थीगण का वाद सहखातेदारी की अविभाजित भूमि के बंटवाड़े से ही संबंधित है और अपने हिस्से से अधिक भूमि की न तो घोषणा हो सकती है और न ही विभाजन। अतः हिस्से से अधिक भूमि के संबंध में वादीगण/प्रार्थीगण का कोई अधिकार नही है, प्रार्थीगण का अधिकार केवल अपने हिस्से तक ही सीमित है इसलिए प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण के हिस्से से अधिक साबित हो ही नही सकता। अतः प्रथमदृष्टया मामला केवल प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा के संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो वादीगण/प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं।

चूंकि वादीगण/प्रार्थीगण स्वयं ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में हमारा 5/12 हिस्सा हैं अर्थात वर्तमान राजस्व अभिलेखों में सभी वादियों के हिस्सों को जोड़ने पर 5/12 हिस्सा बनता हैं। एवं अप्रार्थी संख्या 01 का 1/24,अप्रार्थी संख्या 2 का 1/24 तथा अप्रार्थी संख्या 3/1 व 3/3 का 1/2 हिस्सा है। लिहाजा वादीगण/प्रार्थीगण किस आधार पर कह सकता है कि सम्पूर्ण आराजी का सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है, वादीगण/प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्सों से बाघ्य है, तथा वे अधिकतम अपने हिस्से तक उपयोग/उपभोग आराजी का कर सकते हैं और हिस्से से अधिक यानि उन सहखातेदारों को केवल वादीगण/प्रार्थीगण की प्रार्थना पर उनको बाध्य करना काश्तकारों के प्राथमिक अधिकारों के उपयोग में अनावश्यक दखल की श्रेणी में आता है। अतः सुविधा के संतुलन को प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है।

3– **अपूरणीय क्षति** :– प्रार्थीगण का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी का आगे अ[illegible] क्रेता बेचान हो गया तो प्रकरण में जटिलता आ जाएगी तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन आ[illegible] प्रथम तो वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की अविभाजित भूमि है तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपने–अपने हक हिस्से तक की आराजी का उपयोग एवं उपभोग करने का पूर्ण रूप से [illegible]मिक अधिकार है अगर ऐसे काश्तकार को न्यायालय के आदेश से प्राथमिक अधिकारों से वंचित किया जाता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को नहीं होकर अप्रार्थी को होगी। तथा बेचान करने से प्रार्थीगण को किस प्रकार की क्षति होगी इसे प्रार्थीगण साबित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सहखातेदार यदि अपनी हक हिस्से की आराजी का बेचान करेगा तो अपने हिस्से तक का ही बेचान करेगा,

02/01/24
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra S
Date: 2024.06.12 16:30:42 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से से अधिक का बेचान और उपयोग/उपभोग कर ही नहीं सकता तथा अधिकतम यदि आराजी का बेचान/अंतरण हो भी जाता है तो उसकी जगह नया क्रेता आ जाएगा तथा अप्रार्थी के स्थान पर नया क्रेता वादपत्र में पक्षकार बन जाएगा अतः हम संतुष्ट नहीं होते है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो जाएगी अतः अपूरणीय क्षति के बिन्दु को प्रार्थीगण साबित करने में पूर्णतया असफल रहेंगे।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण अस्थाई व्यादेश के तीन मूलभूत सारतत्वों यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है लिहाजा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को हम इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

—:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई व्यादेश भलीभांति/बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

02/01/24

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 02/01/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

02/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:42 IST
Reason: SelfAttested